न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 4/2022

जीसीएमएस नं. 2022/4

रामकुमार पुत्र अर्जनराम, जाति मेघवाल, निवासी बशीर, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ

—अपीलार्थी

बनाम

1. बीरबल वल्द भैरा –फौत

   1/1 जीताराम
   1/2 साहबराम
   1/3 शारदा
   1/4 कृष्णा

   पुत्रगण–पुत्रियां बीरबल, जाति मेघवाल, निवासी बशीर, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।

2. संतो पत्नी अर्जनराम
3. सुभाष
4. प्रियंका
5. अलका
6. सरस्वती
7. विमला

   पुत्र–पुत्रियां अर्जनराम

   जाति मेघवाल, निवासी बशीर, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।

8. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी
दिनांक 31.12.2021 प्रकरण संख्या 52/2018
अनवान बीरबल बनाम संतो आदि

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

उपस्थितिः–

श्री अनिल कुमार शर्मा, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री इन्द्राज गोदारा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/4

श्री रविन्द्र कुमार भोबिया, राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक 30.6.23

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसमें कथन किया कि प्रार्थी को अपने खेत में काश्त करने में असुविधा व परेशानी होती है। क्यूं कि उसकी भूमि में आवागमन हेतु कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है। वह अप्रार्थी की चक 1 एफटीपी–बी भूमि प. नं. 211/235, मु. नं. 53 के किला नं. 20 में उत्तरी दिशा में पूर्व से पश्चिम मौके पर चालू रास्ते में से होकर अपनी कृषि भूमि प. नं. 210/235, मु. नं. 52, किला नं. 16 में प्रवेश करता है। चक 1 एफटीपी बी के प. नं. 211/235 किला नं. 20.089 में मंजूरशुदा रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थी को परेशानी होती है। अप्रार्थी उपरोक्त वर्णित चालू रास्ता को राजस्व रिकार्ड में अंकन न होने के कारण रास्ता को बंद करने की फिराक में है। अगर वह अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो उसे बहुत परेशानी होगी। इसलिए उक्त रास्ते को स्वीकृत किया जावे। अप्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र का जवाब पेश किया एवं विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली पर आये जवाब एवं भौतिक स्थिति का ठीक ढंग से विवेचन अथवा मूल्यांकन नहीं किया। जवाब में वर्णित किया गया कि चक 1 एफटीपी–बी के प.नं. 210/235 के किला नं. 21 ता 25 में गैर मुमकिन पक्की सड़क पूर्व से पश्चिम चल रही है जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त मंजूरशुदा सड़क रेस्पोडेण्ट बीरबल का खेत मात्र 1 बीघा दूरी पर है। प्रार्थी बीरबल के किला नं. 16–17–18 गै. मु. के साथ चिपते हुए किला नं. 23–24–25 के चिपते हुए स्थित है। प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

बीरबल प. नं. 210/235 के किला नं. 25 में दक्षिण में उत्तर की तरफ एक बीघा चल कर अपने किला नं. 8 में प्रवेश कर आवागमन कर रहा है। अपीलाण्ट की कृषि भूमि में कोई रास्ता चालू नहीं है। विचारण न्यायलाय ने रास्ता स्वीकृति के निर्धारित तीन बिन्दूओं रास्ते की आत्यंतिक आवश्यक, वैकल्पिक रास्ता की आवश्यकता नया मार्ग लघुतम होने का कोई विवेचन भी गलत किया है। नहर की पटरी से रास्ता का आवागमन या लघुतम रूट संभव नहीं है ना ही नहर की पटरी पर कोई रास्ता स्वीकृत है। नहरी पटरी की जगह केवल नहर के रख रखा व मरम्मत हेतु उपयोग हेतु आरक्षित है न की आवागमन हेतु। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट के पास अपनी भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता नहीं है, जो रास्ता स्वीकृत किया गया है वही एक मात्र रास्ता उपयुक्त है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया है। धारा 251 के समस्त बिन्दुओं का विवेचन करने के उपरान्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 –ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया गया है। तहसीलदार रिपोर्ट 225/दिनांक 05.02.2021 पत्रावली में संलग्न है जिसके साथ भू.अ. निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 21.01.2021 उपलब्ध है। इस रिपोर्ट के बिन्दू संख्या 5 के अनुसार ''प्रार्थी को रास्ता दिया जाना आत्यधिक आवश्यक है।'' बिन्दू सं0 2 में यह अंकित है कि रास्ता–''प्रार्थी के द्वारा प. नं. 211/235 मु. नं. 53 किला नं. 20 में भाई चारा से खड़ी फसल में से अपने ढाणी में जाने के लिए उपयोग किया जा रहा है।'' उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि एक तो रेस्पोडेण्ट के पास अपनी भूमि में आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा दूसरे स्वीकृत किया गया रास्ता भाई चारे से आवागमन हेतु उपयोग किया जाता रहा है। अर्थात चाहा गया रास्ते पर मौके पर चालू रहा है और रेस्पोडेण्ट को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय के द्वारा स्वीकृत किया गया रास्ता विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.12.2021 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.6.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/6/23

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner